Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to reform the judicial system -laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मैं सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 2021 में कर्नाटक राज्य बार काउंसिल, बैंगलुरू द्वारा दिवंगत न्यायमूर्ति एम.एम. शांतनगौडर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस उद्बोधन की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था मूल रूप से औपनिवेशिक होने के कारण भारतीय आबादी की जरूरतों के लिए उपयुक्त नहीं है। अत: हमारी कानून प्रणाली/कानून व्यवस्था को देश के मुताबिक बदलने की जरूरत है तथा न्याय वितरण का सरलीकरण हमारा अपना स्वयं का होना चाहिए तथा न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने उद्बोधन में वैकल्पिक विवाद समाधान की जरूरत पर जोर देते हुए यह भी कहा है कि वैकल्पिक विवाद समाधान संसाधनों को बचाने और कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा तथा वैकल्पिक विवाद तंत्र जैसे कि मध्यस्थता और सुलह का उपयोग पक्षों के बीच खिंचाव को कम करने में मदद करेगा एवं इससे संसाधनों की भी बचत होगी और साथ ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म कोर्ट में लंबित मामलों को कम करने में मददकारी होगा, जिससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से छुटकारा मिलेगा और समय की भी बचत होगी।

माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने उपरोक्त उद्बोधन में यह भी कहा है कि आम आदमी अदालतों और अधिकारियों से संपर्क करने से डरते हैं। अदालत का दरवाजा खटखटाते समय उसे डर नहीं लगना चाहिए तथा न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि जज और कोर्ट के सामने सच बोलने में आम आदमी को हिचकिचाहट न हो और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी न्याय प्रणाली का केन्द्र बिंदु वादी, यानि कि न्याय चाहने वाला ही होता है तथा ग्रामीण लोग अंग्रेजी में कार्यवाही नहीं समझते हैं, वे उन तर्कों या दलीलों को भी नहीं समझते

हैं जो ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। अंग्रेजी, उनके लिए एक विदेशी भाषा है। ऐसे में वे न्याय पाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तथा अदालतों को वादियों के अनुकूल होना चाहिए, ताकि वे अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सके।

इस संबंध में मेरा सरकार से अनुरोध है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के उपरोक्त उद्बोधन के परामर्शानुसार देशहित में आवश्यक पहल किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।